अनुदान संख्या 56 – विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग
GRANT No. 56–DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	33535,22,00		33584,37,00	30916,08,47	–2668,28,53
पूरक	Supplementary	49,15,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2637,25,07

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (266828.53 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 4915.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 8 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.266828.53 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.4915.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and constituted 8 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''2251'' सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head “2251” Sercretariat - Social Services					
मू.	O.	1380.00		433.11	406.28	–26.83
पु.	R.	–946.89				
मुख्य शीर्ष ''2202'' सामान्य शिक्षा	Major Head “2202” General Education					
मू.	O.	2473566.00		2537233.15	2534176.70	–3056.45
पू.	S.	4913.00				
पु.	R.	58754.15				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	205134.00			
पू.	S.	2.00	2.00	. .	–2.00
पु.	R.	–205134.00			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	663847.00			
			553801.43	553801.39	–0.04
पु.	R.	–110045.57			
मुख्य शीर्ष ''3602'' संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	9595.00			
			3242.24	3224.10	–18.14
पु.	R.	–6352.76			

(I) 360890.00 लाख रु. का प्रावधान (दो शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चवालीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 360124.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद'' - 900.00 लाख रु. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा अपने संसाधनों से पर्याप्त आय अर्जित किए जाने के कारण थे।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(I) Provision of Rs.360890.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under two heads) remained wholly unutilised under forty four heads; of these Rs.360124.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" -

(a) "Elementary Education - Teachers Training - National Council for Teacher Education" - Rs.900.00 lakhs - due to generation of sufficient income by National Council for Teacher Education from its own resources.

(b) "Secondary Education" -

(i) ''गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - विशेष नवोदय विद्यालय'' - 24748.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ii) ''अन्य व्यय'' -

(1) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान'' - 300.00 लाख रु. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान से पर्याप्त संख्या में ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(2) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता स्कीम'' - 250.00 लाख रु.; और

(ग) ''सामान्य - छात्रवृत्तियां - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 120.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - अनुसंधान और प्रशिक्षण'' -

(i) ''राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' - 400.00 लाख रु.;

(ii) ''विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी'' - 2170.00 लाख रु.;

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''केंद्रीय विद्यालय संगठन'' - 3000.00 लाख रु.; और

(i) "Assistance to Non-Govt. Secondary Schools - Special Navodaya Vidyalaya" - Rs.24748.00 lakhs - due to non- finalisation of the scheme.

(ii) "Other Expenditure" -

(1) "Information and Communication Technology in Schools- Grants to Union Territories without Legislature" - Rs.300.00 lakhs - due to non-receipt of sufficient number of concrete proposals from Union Territories of Chandigarh and Lakshadweep and State Institutes of Educational Technologies.

(2) "Scheme for Universal Access & quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" – Rs.250.00 lakhs; and

(c) "General – Scholarships - National Merit Scholarship Scheme (OSC)" - Rs.120.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of the scheme owing to non-receipt of approval from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Secondary Education – Research and Training" -

(i) "National Council of Educational Research and Training- Rs.400.00 lakhs;

(ii) "Information & Communication Technologies in Schools- Rs.2170.00 lakhs;

(b) "Secondary Education – Assistance to Non-Government Secondary Schools" –

(i) "Kendriya Vidayalaya Sangthan" - Rs.3000.00 lakhs; and

(ii) ''माडल स्कूल (नवोदय विद्यालय) की स्थापना'' - 7101.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''विशेष नवोदय विद्यालय'' - 2750.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 370.00 लाख रु.;

(ii) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता स्कीम'' - 13140.00 लाख रु.; और

(घ) ''माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर - विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 1100.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य व्यय - शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 200.00 लाख रु.; और

(च) ''माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्तियां - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 1200.00 लाख रु.।

(ii) "Setting up of Model School (Navodaya Vidyalayas)" - Rs.7101.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh).

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Special Navodaya Vidyalayas" - Rs.2750.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from North Eastern Region States.

(c) "Secondary Education – Other Expenditure" –

(i) "Information & Communication Technology in Schools-Grants to Voluntary Organisations" - Rs.370.00 lakhs;

(ii) "Scheme for Universal Access & Quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" - Rs.13140.00 lakhs; and

(d) "Secondary Education – Equipment - Integrated Education for Disabled Children" - Rs.1100.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "Secondary Education - Other Expenditure - Vocationalisation of Education" - Rs.200.00 lakhs; and

(f) "Secondary Education –Scholarships-National Merit Scholarship Scheme (OSC)" - Rs.1200.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(छ) ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 5000.00 लाख रु;

(ज) ''प्रारंभिक शिक्षा - अन्य व्यय'' -

(i) ''प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' - 73240.00 लाख रु.;

(ii) ''सर्व शिक्षा अभियान'' - 91075.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।

(झ) ''प्रौढ़ शिक्षा - अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम'' -

(i) ''प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम'' - 3220.00 लाख रु.; और

(ii) ''प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता'' - 730.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों/परियोजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(क) ''माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्तियां - राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम'' - 10600.00 लाख रु. मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त न किए जाने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(ख) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान'' -

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern Region States.

(g) "Elementary Education – Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions – Rs.5000.00 lakhs;

(h) "Elementary Education – Other Expenditure" -

(i) "National Programme for Nutritional Support to Primary Education" – Rs.73240.00 lakhs;

(ii) "Sarva Shiksha Abhiyan" – Rs.91075.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(i) "Adult Education – Other Adult Education Programme" -

(i) "Adult Education & Skill Development Scheme" – Rs.3220.00 lakhs; and

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education & Skill Development Scheme" - Rs.730.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes/projects for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Secondary Education- Scholarships- National Merit Scholarship Scheme (OSC)" - Rs.10600.00 lakhs - due to non-finalisation of the scheme owing to non-receipt of approval from the Cabinet.

(b) "Secondary Education – Other Grants" -

(i) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 1400.00 लाख रु. स्कीम में संशोधन किए जाने के कारण थे।

(ii) ''माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता संबंधी स्कीम'' - 114910.00 लाख रु.; और

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - माध्यमिक स्तर पर व्यापक प्रवेश एवं गुणवत्ता संबंधी स्कीम'' - 2200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त न किए जाने की वजह से स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''माध्यमिक शिक्षा - गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - केंद्रीय विद्यालय संगठन'' के अंतर्गत 96230.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2170.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 98400.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब होने के कारण 2000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग'' के अंतर्गत 973.72 लाख रु. की बचत (1380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और प्रस्तावों के प्राप्त न होने की वजह से विज्ञापन और प्रचार पर कम व्यय होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा'' -

(क) ''सर्व शिक्षा अभियान - स्थापना और संबंधित व्यय'' - 160.38 लाख रु. की बचत (3330.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त

(i) "Vocationalisation of Education" - Rs.1400.00 lakhs - due to revision of scheme.

(ii) "Scheme for Universal Access & Quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" - Rs.114910.00 lakhs; and

(D) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Secondary Education – Other Grants - Scheme for Universal Access & Quality at the Secondary Stage (SUCCESS)" - Rs.2200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of scheme owing to non-receipt of approval from Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head "2202" – "Secondary Education – Assistance to Non-Govt. Secondary Schools – Kendriya Vidyalaya Sangathan" – the original provision of Rs.96230.00 lakhs was augmented to Rs.98400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2170.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2000.00 lakhs – due to delay in acquiring land for construction of School Buildings by the Kendriya Vidyalaya Sangathan.

(III) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of School Education and Literacy" – saving of Rs.973.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1380.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less expenditure on advertising and publicity owing to non-receipt of proposals.

(IV) Under Major Head "2202" -savings occurred under the following heads:-

(A) "Elementary Education" -

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - Establishment and Related Expenditure" – saving of Rs.160.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3330.00 lakhs) was due to

पदों के भरे न जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' -

(i) ''खाद्यान्नों की लागत'' - 86779.03 लाख रु. की बचत (165300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाकों में स्कीम के विस्तार के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''खाद्यान्नों के संचलन की लागत'' - 10812.33 लाख रु. की बचत (21600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) खाद्यान्नों की परिवहन लागत की अदायगी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उठाए जाने के आंकड़े प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की खाना बनाने की लागत को पूरा करने के लिए सहायता'' - 169.34 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iv) ''परामर्शदात्री/विशेषज्ञों और मूल्यांकन/अध्ययनों संबंधी शुल्क की अदायगी'' - 1141.46 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांच स्वतंत्र संस्थाओं के माध्यम से दोपहर का भोजन कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययनों के लिए निधियां जारी न किए जाने, राष्ट्रीय सहायता समूह के क्रियाशील न होने और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रबंधन सूचना प्रणाली को लागू करने के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''माध्यमिक शिक्षा'' -

(क) ''अनुसंधान और प्रशिक्षण - राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद'' - 700.00 लाख रु. की बचत (9795.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

non-filling up of vacant posts and economy measures.

(b) "National Programme of Nutritional Support to Primary Education" -

(i) "Cost of Food Grains" – saving of Rs.86779.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.165300.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of the Cabinet for extension of the scheme in educationally backward blocks.

(ii) "Cost of Movement of Food Grains" - saving of Rs.10812.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21600.00 lakhs) was due to non-receipt of lifting figures from States/Union Territories for payment of transportation cost of food grains.

(iii) "Assistance for Meeting Cooking Cost to UTs without legislature" – saving of Rs.169.34 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals for reimbursement of expenditure from Union Territories.

(iv) "Payment towards fee for consultancy/ Experts and Evaluation/ Studies" - saving of Rs.1141.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to non-release of funds for conduction of evaluation studies of Mid Day Meal Programme through five independent institutions, non-activation of National Support Group (NSG) and non-finalisation of proposals to put in place Management Information System at all India level through National Informatics Centre.

(B) "Secondary Education" -

(a) "Research and Training - National Council of Educational Research and Training" - saving of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9795.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 170.13 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विकलांग बच्चों के लिए नई संशोधित एकीकृत शिक्षा स्कीम के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 2100.00 लाख रु. की बचत (2800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थानों से ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''प्रवेश एवं साम्या - स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान'' - 827.47 लाख रु. की बचत (875.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के समीक्षाधीन होने और अदायगी के लिए केवल प्रतिपूर्ति के मामलों पर विचार किए जाने के कारण हुई।

(iv) ''शिक्षा का व्यवसायीकरण'' - 299.89 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के समीक्षाधीन होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''प्रौढ़ शिक्षा'' -

(क) ''अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम''

(i) ''प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम''- 14168.90 लाख रु. की बचत (28980.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग प्रौढ़ शिक्षा स्कीम निदेशालय को किए जाने और पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास स्कीम के लिए गैर-सरकारी संगठनों/संस्थाओं/एसआरसी को सहायता'' - 212.58 लाख रु. की बचत (6570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य और पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Integrated Education for Disabled Children" - saving of Rs.170.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to delay in implementation of new revised scheme Integrated Education for Disabled Children.

(ii) "Information and Communication Technology in Schools-Grants to Voluntary Organisations" - saving of Rs.2100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2800.00 lakhs) was due to non-receipt of concrete proposals from State Institutes of Educational Technologies.

(iii) "Access & Equity -Grants to Voluntary Organisations" - saving of Rs.827.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.875.00 lakhs) was due to scheme being under review and only re-imbursement cases were considered for payment.

(iv) "Vocationalisation of Education" - saving of Rs.299.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to scheme being under review and economy measures.

(C) "Adult Education" –

(a) Other Adult Education Programmes" –

(i) "Adult Education & Skill Development Scheme" - saving of Rs.14168.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28980.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds to Directorate of Adult Education Scheme and non-receipt of complete proposals.

(ii) "Support to NGOs/Institutions/SRCs for Adult Education & Skill Development Scheme" - saving of Rs.212.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6570.00 lakhs) was due to non-receipt of viable and complete proposals.

(ख) ''अन्य व्यय - संगोष्ठियों, समितियों, बैठक आदि/ गैर - सरकारी सदस्यों के परिवहन भत्ते/दैनिक भत्ते पर व्यय'' - 205.46 लाख रु. की बचत (441.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा - उपस्कर - विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 2705.52 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' -

(क) ''खाना बनाने की लागत को पूरा करने के लिए सहायता'' - 114957.86 लाख रु. की बचत (444500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन'' - 4262.59 लाख रु. की बचत (11200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(गा) ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 11941.85 लाख रु. की बचत (42870.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(b) "Other Expenditure - Expenditure on Seminars Committees, Meeting etc./TA/ DA to non-officials Members" - saving of Rs.205.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.441.00 lakhs) was due to economy measures.

(V) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secondary Education – Equipment-Integrated Education for Disabled Children" - saving of Rs.2705.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals from State Governments.

(B) "Elementary Education– National Programme of Nutritional Support to Primary Education" -

(a) "Assistance for Meeting Cooking Cost" - saving of Rs.114957.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.444500.00 lakhs); and

(b) "Management, Monitoring and Evaluation" - saving of Rs.4262.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.11200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years.

(C) "Elementary Education - Teachers Training - Strengthening of Teachers Training Institutions" - saving of Rs.11941.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.42870.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient number of proposals from the State Governments.

(VI) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा - अन्य अनुदान - विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा'' - 273.39 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरे प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम - खाना बनाने की लागत को पूरा करने के लिए सहायता'' - 2213.68 लाख रु. की बचत (4450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(गा) ''प्रारंभिक शिक्षा - शिक्षक प्रशिक्षण - शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'' - 1435.31 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने और संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 148.16 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत और 81 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (204596.30 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2202'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 4913.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''प्रारंभिक शिक्षा'' -

(क) ''सर्व शिक्षा अभियान - सामान्य संघटक'' - 174784.23 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 172217.60 लाख रु.था ।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''राष्ट्रीय बाल भवन - राष्ट्रीय बाल संग्रहालय - बाल भवन सोसाइटी'' - 194.69 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 194.18 लाख रु.था।

(ii) ''जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम'' - 1990.81 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1990.51 लाख रु.था।

(A) "Secondary Education - Other Grants - Integrated Education for Disabled Children" - saving of Rs.273.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of complete proposals.

(B) "Elementary Education – National Programme of Nutritional Support to Primary Education – Assistance for Meeting Cooking Cost" – saving of Rs.2213.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4450.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(C) "Elementary Education - Teachers Training – Strengthening of Teachers Training Institutions" - saving of Rs.1435.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years and non-receipt of sufficient number of proposals from Union Territories.

(VII) Under two heads savings of Rs.148.16 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 67 percent and 81 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.204596.30 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.4913.00 lakhs under Major Head "2202" – under the following heads:-

(A) "Elementary Education" -

(a) "Sarva Shiksha Abhiyan - General Component" – Rs.174784.23 lakhs. Actual excess, however, was Rs.172217.60 lakhs.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "National Bal Bhawan - National Children's Museum - Bal Bhawan Society" - Rs.194.69 lakhs. Actual excess, however, was Rs.194.18 lakhs.

(ii) "District Primary Education Programme (EAP)" - Rs.1990.81 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1990.51 lakhs.

(खा) ''माध्यमिक शिक्षा - गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - माडल विद्यालयों (नवोदय विद्यालय) की स्थापना'' - 27100.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 27099.50 लाख रु. था।

(गा) ''प्रौढ़ शिक्षा - निदेशन एवं प्रशासन - प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय'' - 526.57 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 519.10 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई:-

(का) ''माध्यमिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी'' - 5305.66 लाख रु. का अधिक व्यय (19080.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''प्रारंभिक शिक्षा - प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम'' -

(क) ''भोजन बनाने के उपस्करों/रसोई उपकरणों इत्यादि के लिए सहायता'' - 9476.05 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्यालयों में खाना बनाने के उपस्करों/ रसोई उपकरणों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''रसोई एवं भंडार के निर्माण के लिए सहायता'' - 125709.40 लाख रु. का अधिक व्यय (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लाक में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोई शेडों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से

(B) "Secondary Education - Assistance to Non-Government Secondary Schools - Setting up of Model Schools (Novodaya Vidyalayas)" - Rs.27100.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.27099.50 lakhs.

(C) "Adult Education - Direction and Administration - Directorate of Adult Education" - Rs.526.57 lakhs. Actual excess, however, was Rs.519.10 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - under the following heads:-

(A) "Secondary Education Research and Training – Information & Communication Technologies in School" - excess of Rs.5305.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.19080.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Elementary Education – National Programme of Nutritional Support to Primary Education" -

(a) "Assistance for Cooking Equipments/ kitchen Devices etc." – excess of Rs.9476.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for cooking equipment/kitchen devices in schools and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Assistance for construction of Kitchen cum store" – excess of Rs.125709.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for kitchen sheds in Upper Primary Schools in Educationally back ward block and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to

संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ग) "खाद्यान्नों के संचलन के लिए सहायता" - 10328.10 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए विभिन्न राज्यों को निधियां जारी किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. ***प्रारंभिक शिक्षा कोषः-***

प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने संबंधी कार्यक्रम के संबंध में धनराशि की व्यवस्था करने के लिए उपलब्ध योजना संसाधनों और अनुमानित आवश्यकता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 के अंतर्गत निगम कर, निगम कर से भिन्न आय पर कर, अनुषंगी हितलाभ कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर 3% की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया।

नवम्बर, 2005 में, भारत के लोक लेखे में तत्कालीन प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कोष नामक एक व्यपगत न होने वाली निधि का गठन किया गया ।

शिक्षा उपकर से होने वाली समस्त आय "सर्वशिक्षा अभियान" और "दोपहर का भोजन स्कीम" पर व्यय किए जाने के लिए इस प्रारंभिक शिक्षा कोष में जमा की जाएगी । किसी भी वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों पर किए जाने वाले व्यय को शुरू में अन्य बजटीय संसाधनों से वहन किया जाएगा । इन स्कीमों पर योजना आबंटन संघटक और व्यय का वित्तपोषण अन्य बजटीय संसाधनों के समाप्त होने के बाद ही प्रारंभिक शिक्षा कोष से उपलब्ध कराया जाएगा ।

शिक्षा उपकर की अनुमानित प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए नव गठित प्रारंभिक शिक्षा कोष को प्रारंभिक अंतरण के लिए संघ बजट 2007-08 में 10393/- करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था । सर्व शिक्षा अभियान और दोपहर का भोजन संबंधी स्कीमों पर किए गए व्यय के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा

functional heads for utilisation on scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(c) "Assistance for movement of food grains" - excess of Rs.10328.10 lakhs (against nil provision) was due to release of funds to various states for transportation of food grains and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. ***Prarambhik Shiksha Kosh:-***

In order to bridge the gap between available plan resources and estimated requirement to finance the programme for universalisation of elementary education, the Finance (no.2) Act, 2004 levied an Education Cess @3% on Corporation Tax, Taxes on Income other than Corporation Tax, Fringe Benefit Tax, Excise Duty, Custom Duty and Service Tax.

A non-lapsable fund called Prarambhik Shiksha Kosh was created in the Public Accounts of India under the erstwhile Department of Elementary Education and Literacy in November, 2005.

All proceeds of Education Cess is to be credited in to this Prarambhik Shiksha Kosh for being spent on the schemes "Sarva Shiksha Abhiyan" and "Mid-Day Meal Scheme". Expenditure incurred on these schemes, in any financial year, shall initially be incurred from Other Budgetary Resources (OBR). Component of plan allocation and the expenditure on these schemes will be financed from Prarambhik Shika Kosh only after OBR is exhausted.

A provision of Rs.10393/- crores was made in the Union Budget 2007–08 for initial transfer to the newly created Prarambhik Shiksha Kosh against estimated receipt of Education Cess. Identical amount was provided in B.E. 2007–08 for amount to be recouped from Prarambhik

कोष में प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि के लिए बजट अनुमान 2007-08 में समान राशि उपलब्ध कराई गई थी ।

वर्ष 2007-08 के संबंध में निधि का लेखा इस प्रकार था:-

Shiksha Kosh in respect of expenditure incurred on the schemes relating to Sarva Shiksha Abhiyan and Mid Day Meal.

The Account of the Fund for the year 2007–08 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	193,32,73
प्राप्तियां	Receipts	10393,00,00
अदायगियां	Payments	9934,25,92
अंतशेष	Closing Balance	652,06,81